उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

अधिहरण वाद संख्या–59/2023–24

सरकार

बनाम्

श्रवण कुमार एवं अन्य

–: आदेश :–

दिनांक	
	मामला पोड़ैयाहाट थाना काण्ड संख्या–34/2023 दिनांक–11.02.2023 से संबंधित है। पुलिस अधीक्षक, गोड्डा ने अपने पत्रांक–3632/अप0शा0 दिनांक–19.08.2023 से धारा–379/411/34 भा0द0वि0, खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 एवं 30(ii) कोल माईन्स एक्ट के तहत कांड में जप्त 1. पिकअप भैन निबंधन संख्या–BR10GB-8079 एवं 2. पिकअप भैन निबंधन संख्या–BR10GC-2063 तथा उस पर लदे कोयला को राजसात करने के लिए प्रतिवेदन दिया है, जिसके आधार पर वर्तमान वाद की प्रक्रिया प्रारम्भ किया गया है।
	पुलिस अधीक्षक, गोड्डा का प्रतिवेदन है कि वर्तमान कांड वादी जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त 1. पिकअप भैन निबंधन संख्या–BR10GB-8079 एवं 2. पिकअप भैन निबंधन संख्या–BR10GC-2063, के मालिक एवं चालक के विरूद्ध अवैध रूप से कोयला की चोरी कर परिवहन करने में अंकित किया गया है एवं पर्यवेक्षणोपरांत प्रतिवेदन संख्या–02 में इस कांड को धारा–379/411/34 भा0द0वि0, खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 एवं 30(ii) कोल माईन्स एक्ट के तहत प्राथमिकी अभियुक्त 1. पिकअप भैन निबंधन संख्या–BR10GB-8079 एवं 2. पिकअप भैन निबंधन संख्या–BR10GC-2063, के मालिक एवं चालक के विरूद्ध सत्य पाया गया है तथा काण्ड में जप्त 1. पिकअप भैन निबंधन संख्या–BR10GB-8079 एवं 2. पिकअप भैन निबंधन संख्या–BR10GC-2063, के मालिक मो0 मुस्तकीम, पिता–मो0 समीद, सा0–दनापुर, थाना–पीरपैंती, जिला–भागलपुर, बिहार के रूप में सत्यापित हुआ है। पुलिस अधीक्षक, गोड्डा ने

काड में जप्त 1. पिकअप भैन निबंधन संख्या–BR10GB-8079 एवं 2. पिकअप भैन निबंधन संख्या–BR10GC-2063 एवं उस पर कोयला के विरूद्ध धारा –379/411/34 भा0द0वि0, खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 एवं 30(ii) कोल माईन्स एक्ट के तहत राजसात करने के लिए अनुरोध किया है।

विपक्षी को कारण–पृच्छा दाखिल करने के लिए नोटिश निर्गत किया गया। लम्बी अवधि के बाद भी विपक्षी श्रवण कुमार की ओर से कारण–पृच्छा दाखिल नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि विपक्षी को कुछ नहीं कहना है।

पुलिस अधीक्षक, गोड्डा के प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि धारा–379/411/34 भा0द0वि0, खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 एवं 30(ii) कोल माईन्स एक्ट–1973 के तहत प्राथमिकी अभियुक्त 1. पिकअप भैन निबंधन संख्या–BR10GB-8079 के विरूद्ध सत्य पाया गया है। यह स्पष्ट है कि जप्त वाहन का उपयोग कोयला के अवैध परिवहन के लिए किया जा रहा था।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में काण्ड में जप्त 1. पिकअप भैन निबंधन संख्या–BR10GB-8079 एवं उस पर लदे कोयला को राजसात करने का आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गोड्डा/जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा/जिला परिवहन पदाधिकारी, गोड्डा/थाना प्रभारी, पोड़ैयाहाट को दें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
गोड्डा।

उपायुक्त,
गोड्डा।

Digitally signed by Anjali Yadav
Date: 2025.09.19 11:49:01 +05:30
Location: 192.168.1.33